छात्रवृत्ति

आज़मगढ में 30 अक्टूबर- 2 नवम्बर 1992 ई0 को आयोजित पांचवे सेमिनार में छात्रों के वज़ीफ़े के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पास हुआ।

मदरसों में ज़कात का पैसा इस्तेमाल करने के लिए, मदरसे में छात्रों की शिक्षा, आवास और खाने पीने पर होने वाले ख़र्च का हिसाब लगाकर हर एक के ऊपर हुए ख़र्च का ब्योरा निकाला जाए और उसके बराबर ज़कात की मद से पैसा लिया जाए। यह अदायगी नक़द या चेक के रूप में छात्र को दी जाए और फिर वह मदरसे के अकाउन्ट में जमा करे। छात्रों की तरफ़ से यह अदायगी मदरसे के ज़िम्मेदार ख़ुद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि दाख़िले के समय छात्र या उसके अभिभावक की तरफ़ से मदरसे के ज़िम्मेदार को इसका अधिकार दिया गया हो कि ज़कात की मद से उसके ख़र्चे मदरसा को अदा करने का हक़ होगा।

☆☆☆